



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672, Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@ccensusindia.gov.in

पत्रांक- डी0 26015/5/2010 - 9126

दिनांक - 9/11/2016

निविदा आमंत्रित

विषय:- बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना के लिए वाहन चालक उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रण

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 में सरकारी वाहन एम्बेस्डर क्लासिक मॉडल नम्बर 1800 आई. एस.जेड. तथा जिप्सी को चलाने के लिए चालक हेतु इच्छुक फर्म तकनीकी बिड (Technical Bid) एवं वित्तीय बिड (Financial Bid) को अलग-अलग लिफाफों में जिन पर स्पष्ट अक्षरों में निविदा सूचना और निर्धारित दिनांक अंकित हो, को पुनः एक बड़े से लिफाफे में रखकर एवं उक्त लिफाफा पर 'वाहन चालक हेतु निविदा' अंकित कर दिनांक 02.12.2016 तक दोपहर 3 बजे तक कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में निर्धारित समय तक सीधे जमा कर सकते हैं। निविदाएँ दिनांक 02.12.2016 को अपराह्न 04.00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकी बिड में दिए गए शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात ही वित्तीय बिड को खोलने की कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत दर कार्य आदेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

(A) प्रतिदिन कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्योरा:-

- 1) प्रातः 9.30 पूर्वाह्न से 6.00 अपराह्न तथा कार्यालय के आवश्यकतानुसार कार्यालय अवधि के अतिरिक्त भी पदाधिकारियों द्वारा बताये गये समय पर आना एवं जाना।
- 2) सरकारी वाहनों को प्रतिदिन साफ-सफाई किया जाना।
- 3) उपलब्ध कराये गये चालक के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा वाहन चलाने तथा सफाई कार्य नहीं किया जाना है।
- 4) चालक को यूनिफॉर्म सहित उपलब्ध कराना।
- 5) प्रतिदिन वाहन को कार्यालय परिसर में लगाया जायेगा।
- 6) सरकारी दौरे पर अधिकारियों को पटना से बाहर जाने पर आवश्यकतानुसार वाहन को पटना से बाहर ले जाना होगा।
- 7) वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स (स्थायी) होना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार नवीकृत हों।
- 8) वाहन चालक का पूरा विवरण पता एवं लाइसेन्स की छायाप्रति आदेश के उपरांत कार्यालय में जमा करना होगा।
- 9) वाहन चालक को कम से कम तीन वर्ष वाहन चलाने का अनुभव प्राप्त हो।
- 10) वाहन चालक को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(B) तकनीकी बिड (Technical Bid) निम्नांकित प्रमाण पत्रों / प्रपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

- a. आयकर द्वारा जारी पैन कार्ड नम्बर की प्रति
- b. फर्म का ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 का निबंधन पत्र की प्रति
- c. श्रम विभाग द्वारा निर्गत निबंधन पत्र की प्रति
- d. सर्विस टैक्स विभाग द्वारा निर्गत निबंधन पत्र की प्रति
- e. फर्म द्वारा जमा किया गया आयकर मद की विगत तीन साल की विवरणी की प्रति
- f. वार्षिक वित्तीय अंकेक्षण की वित्तीय वर्ष 2014-2015 की प्रति।
- g. फर्म द्वारा किसी केन्द्रीय/राज्य विभागों के द्वारा काली सूची में न होने की स्व-घोषणा।

h पाँच हजार रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन राशि (ई.एम.डी.) के रूप जो सांठ अन्वे० ग्रेड-। -सह-
डी०डी०ओ० जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना के नाम देय हो, समर्पित करना होगा। इस बैंक
ड्राफ्ट/राशि को सफलतापूर्वक कार्य समाप्ति उपरांत फर्म को वापस कर दिया जायेगा।

(C) वित्तीय बिड (Financial Bid)

a. कार्य करने वाले वाहन चालक कर्मियों के संबंध में प्रति माह (ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० के साथ)
प्रति व्यक्ति का दर प्रस्तुत करना होगा।

(d) सामान्य शर्तें:-

- 1) इस प्रभाग के प्राधिकृत अधिकारी से प्रत्येक माह "कार्य संतुष्टि प्रमाण-पत्र" दिये जाने के उपरांत सफल निविदादाता को देय राशि का भुगतान किया जाना होगा।
- 2) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार निदेशालय, जनगणना परिचालन, बिहार, पटना के पास सुरक्षित है।
- 3) निविदादाता प्रतिमाह आने वाले सभी खर्चों सहित उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रपत्र में अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 02.12.2016 के अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदाएँ दिनांक 02.12.2016 को अपराह्न 04.00 बजे निविदादाताओं अथवा प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी।
- 4) भुगतय राशि से नियमानुसार आयकर (टी०डी०एस०) की कटौती की जा सकती है।
- 5) मुहरबंद निविदा वाले लिफाफे के उपर साफ-साफ बड़े एवं पठनीय अक्षरों में जनगणना निदेशालय, बिहार में "वाहन चालक कार्य हेतु निविदा" अंकित किया जाना चाहिए।
- 6) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से निविदा में प्रस्तुत दर कम नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किये जाने पर तदनुसार प्रस्तुत दर को पुनः निर्धारित करना होगा।



(धीरेन्द्र कुमार)

उप निदेशक (का० अ०)

प्रतिलिपि:-

- 1 ओ०आर०जी०आई० वेब साईट
- 2 मुख्यालय सूचना पट्ट।

निविदा का प्रारूप

पत्रांक- डी0 26015/5/2010 _____ दिनांक- _____ दिए गए नियम एवं शर्तों से मैं सहमत होते हुए वाहन चालक कर्मियों के संबंध में प्रति माह (ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 के साथ) प्रति व्यक्ति का दर से सहमति देता हूँ।

क्रम संख्या	विवरण	प्रति व्यक्ति का दर
1	Basic pay + DA	
2	EPF contribution with %	
3	ESI contribution with %	
4	Service Charge with %	
5	Service Tax with %	
6	Bonus, if any	
	Total Cost	

नाम
फर्म का नाम व पता (मुहरसहित)
दिनांक- _____

हस्ताक्षर